

प्रेस विज्ञप्ति थाना बड़हलगंज दिनांक 11-11-2020

फरार वांछित दो पशु तस्कर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर एवं क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के पर्यवेक्षण में दिनांक 08.11.20 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1192/20 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व धारा 307 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्तगण 1. तौफिक अहमद पुत्र जलालुद्दीन निवासी रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2. नौसाद अहमद पुत्र मुमताज अहमद निवासी चाँदपट्टी थाना रौनापर जनपद आजमगढ़ को प्रभारी निरीक्षक श्री राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना बड़हलगंज के नेतृत्व में उ0नि0 यतीन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री जुगेश कुमार आनंद, उ0नि0 श्री राजेश कुमार पाण्डेय, का0 सुनील कुमार यादव, का0 सत्येन्द्र भास्कर, का0 निलेश कनौजिया थाना बड़हलगंज व का0 नमित कुमार मिश्रा व का0 अशोक चौधरी सर्विलान्स सेल गोरखपुर के सहयोग से मुखबिर की सूचना पर दिनांक 11.11.20 को समय करीब 09.15 बजे, दोहरीघाट पुल के पास (मुक्तिपथ मोड़) से एक अदद मो0सा0 के साथ गिरफ्तार कर रिमाण्ड हेतु मा0 न्यायालय गोरखपुर भेजा गया। बरामद मो0सा0 को अन्तर्गत धारा 39/192,196,207 एमबी एक्ट की चालानी रिपोर्ट अलग से प्रेषित की गयी।

अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. तौफिक अहमद पुत्र जलालुद्दीन निवासी रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
2. नौसाद अहमद पुत्र मुमताज अहमद निवासी चाँदपट्टी थाना रौनापर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय

दोहरीघाट पुल के पास (मुक्तिपथ मोड़) थाना बड़हलगंज, दिनांक 11.11.2020 समय 09.15 बजे।

घटना का विवरण- दिनांक 11.11.20 सुबह समय करीब 09.15 बजे प्रभारी निरीक्षक राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह उ0नि0 यतीन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री जुगेश कुमार आनंद, उ0नि0 श्री राजेश कुमार पाण्डेय, का0 सुनील कुमार यादव, का0 सत्येन्द्र भास्कर, का0 निलेश कनौजिया थाना बड़हलगंज व का0 नमित कुमार मिश्रा व का0 अशोक चौधरी सर्विलान्स सेल गोरखपुर के मु0अ0सं0- 1192/20 धारा 3/5ए/8 गो-वध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 307 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित के तलाश में मिलने के सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि दिनांक 08.11.20 को पंजीकृत मु0अ0सं0 1192/20 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व धारा 307 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त दोहरीघाट पुल की तरफ से बड़हलगंज गोरखपुर की तरफ आने वाले हैं कि सूचना पर अभियुक्तगण 1.तौफिक अहमद पुत्र जलालुद्दीन निवासी रानीपुर रजमो थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2. नौसाद अहमद पुत्र मुमताज अहमद निवासी चाँदपट्टी थाना रौनापर जनपद आजमगढ़ को दिनांक 11.11.20 समय करीब 09.15 बजे, दोहरीघाट पुल के पास (मुक्तिपथ मोड़) से गिरफ्तार किया गया। जिन्हे मा0 न्यायालय रिमाण्ड हेतु भेजा गया। ये शातिर पशु तस्कर हैं। दिनांक 08.11.2020 को 24 गोवंश पशु बरामद कर दो अभियुक्त को बड़हलगंज पुलिस की सक्रियता से गिरफ्तार किया गया था और नौशाद व तौफिक फरार थे। बड़हलगंज पुलिस द्वारा इनके रहने के ठिकानों पर घेराबन्दी की गयी जिसके परिणाम स्वरूप आज दोनो फरार पशुतस्कर गिरफ्तार किये गये।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 1192/20 धारा 3/5ए/8 गो-वध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 307 भा0द0वि0 (उपरोक्त दोनो अभियुक्तों के विरुद्ध)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 श्री यतीन्द्र सिंह थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
3. उ0नि0 श्री जुगेश कुमार आनंद थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
4. उ0नि0 श्री राजेश कुमार पाण्डेय थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
5. का0 सुनील कुमार यादव थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
6. का0 सत्येन्द्र भास्कर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
7. का0 निलेश कनौजिया थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
8. का0 नमित कुमार मिश्रा सर्विलान्स सेल गोरखपुर।
9. का0 अशोक चौधरी सर्विलान्स सेल गोरखपुर।